

# ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या-01, सैक्टर-नॉलेज पार्क-04, ग्रेटर नौएडा सिटी-201310, जिला-गौतमबुद्ध नगर  
वेबसाईट- [www.greaternoidaauthority.in](http://www.greaternoidaauthority.in), ई-मेल- [authority@gnida.in](mailto:authority@gnida.in)

पत्रांक: स्वा0वि0 / 2021 /

दिनांक / 12 / 2021

## स्वच्छता रैंकिंग

ढोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं हस्तन नियम-2016 को ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र में लागू किये जाने हेतु प्राधिकरण कार्यवाही कर रहा है। नियमों के अनुसार 100 कि०ग्रा० कचरा प्रतिदिन उत्पन्न करने वाली अथवा 5000 वर्गमी० से अत्यधिक क्षेत्रफल वाली इकाईयों को बल्क वेस्ट जनरेटर की श्रेणी में रखा गया है। इन श्रेणी के अपशिष्ट उत्पन्न कर्ताओं को अपने कचरे का उठान, प्रबंधन एवं निस्तारण स्वयं के श्रोतों से किया जा रहा है। कचरे के पृथक्कीरण (**Segregation**) के उपरान्त बचने वाले अवशेष कचरे (**Inert Waste**) के उठाने की कार्यवाही प्राधिकरण द्वारा प्रारम्भ कर दी गयी है।

स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से गीला कचरा (**Wet Waste**) प्रबन्धन करने वाली विभिन्न बिल्डर एवं कोऑरेटिव सोसाईटियों के मध्य प्रतिस्पर्धा आयोजित की जानी है। प्रतिस्पर्धा हेतु कुछ प्रश्न तैयार किये गये हैं, जिसमें उनके संस्थान की सूचनाएं मय साक्ष्यों के साथ गूगल फार्म के माध्यम से प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जायेंगी। गूगल फार्म लिंक-

**Click here to participate-**

Link: <https://forms.gle/EmrrwwP88orRE9pP8>

उपरोक्त पर उपलब्ध है। सभी प्रतिभागियों को अपनी-अपनी प्रविष्टियां दि० 10.12.2021 तक प्राधिकरण के स्वास्थ्य विभाग में उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया था। उच्चाधिकारियों द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में उक्त समयावधि दिनांक तक दिनांक 17.12.2021 तक बढ़ायी जाती है।

शेष नियम एवं शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।



(सलिल यादव)  
वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य)